S.S.T. no. 43/2018

28.07.2018

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 33अ,
शपथपत्र अभियुक्त उमेश पवार 34ब एवं
आपत्ति पत्र 38ब का निस्तारण

प्रार्थनापत्र 33अ अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0, अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस न्यायालय के समक्ष मामले के गुण–दोष तथा पक्षकारों के मध्य लम्बित अन्य मामलों एवं पक्षकारों के दुष्प्रेरकों के मध्य लम्बित अन्य मामलों से संबंधित तथ्यों पर विस्तार से उल्लेख किया गया है जिनमें से मात्र सुसंगत तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है।

परिवादपत्र के अनुसार कथित घटना के संबंध में प्रथम शिकायती प्रार्थनापत्र कथित घटना के दो दिन के विलम्ब के पश्चात दिनांक 20.05.2015 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को डाक द्वारा भेजा गया और बिना किसी अधिकारी के आदेश के वादिया द्वारा अपनी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जिसमें सभी चोटें साधारण प्रकृति की रहीं। कथित घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। परीक्षित साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं और किसी भी गवाह द्वारा अभियुक्तगण /आवेदकगण का नाम अपने बयान अंतर्गत धारा 202 जा0फौ0 में नहीं लिया गया है। अभियुक्तगण/आवेदकगण का घटना कारित करने का कोई हेतु नहीं है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उनके विरुद्ध इस तरह की कभी कोई शिकायत प्रकाश में आई है। वास्तविकता में अभियुक्तगण/आवेदकगण न तो मुकदमा वादिनी को जानते हैं, न ही व्यक्तिगत रूप से कभी भी अभियुक्तगण/ आवेदकगण या मुकदमा वादिनी कभी भी एक–दूसरे के सामने आये हैं।

उक्त कथनों का समर्थन शपथपत्र 34ब से किया गया है।

आपत्ति पत्र 38ब में केवल सुसंगत तथ्य ही दिये गये हैं, परन्तु उनका विस्तार से उल्लेख किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्यों कि वे सभी कथन परिवादपत्र, तलबी आदेश, चिकित्सीय रिपोर्ट एवं निगरानी में पारित आदेश से संबंधित हैं।

उभय पक्ष को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले से संबंधित परिवाद मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.05.2015 को प्रस्तुत किया गया जिस पर परिवादिनी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं गवाहान पी.डब्ल्यू.1 मिथुन व पी.डब्ल्यू.2 पप्पू यादव उर्फ योगेश के बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये। गवाहान के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से संतुष्ट होकर, तत्कालीन मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तगण उमेश चन्द्र पवार, सूर्य प्रताप सिंह उर्फ शिवा एवं दीपक वर्मा को धारा 147,148,149,323,354,379,504 व 506 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(1) एस.सी.एस.टी. ऐक्ट के अंतर्गत विचारण हेतु आदेश दिनांकित 09.11.2015 से तलब किया गया। उक्त तलबी आदेश के विरुद्ध आपराधिक निगरानी दाखिल की गई, जो कि तत्कालीन विशेष न्यायाधीश(एस.सी.एस.टी.ऐक्ट), एटा द्वारा अपने आदेश दिनांकित 04.05.2017 द्वारा निस्तारित की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को पुष्ट किया गया।

तत्कालीन विद्वान विशेष न्यायाधीश(एस.सी.एस.टी.ऐक्ट), एटा का उक्त निर्णय दिनांक 04.05.2017 पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अंतिम हो चुका है।

उक्त निगरानी आदेश में प्रश्नगत तलबी आदेश में कोई अनियमितता व अवैधानिकता नहीं पाई गयी तथा प्रश्नगत आदेश को तथ्यों एवं साक्ष्यों के अनुरूप पाया गया।

अब उक्त निगरानी निर्णय के उपरांत, इस न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि यह न्यायालय यह अभिमत पारित कर सके, कि प्रश्नगत तलबी आदेश त्रुटिपूर्ण है अथवा साक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 में परिवादिनी के चरित्रों पर प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है तथा उसे स्पष्ट शब्दों में दुष्चरित्र महिला कहा गया है, लेकिन यदि कोई महिला दुष्चरित्र भी हो तो भी उसकी लज्जा भंग करने का किसी व्यक्ति को लायसेंस प्राप्त नहीं हो जाता है।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है तथा मौखिक रूप से भी इस न्यायालय के समक्ष बहस की गई, कि परिवादिनी की सोने की चेन यदि टूट कर गिर गई तो इससे धारा 379 भा0दं0वि0

का अपराध कारित नहीं होगा, जब तक कि अभियुक्तगण ने उसे उठा न लिया हो। निश्चित रूप से बचाव पक्ष का यह तर्क महत्वपूर्ण है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर धारा 379 भा0दं0वि0 का आरोप विरचित किया जाना उचित नहीं होगा।

अभियोजन पक्ष की तरफ से **दुर्गेश कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व 01 अन्य 2011(2) जे0आई0सी0 824** की विधि प्रोद्धृत की गयी है जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि धारा 227 व 228 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत ऊपर केवल प्रथम दृष्ट्या केस ही देखा जाना है। विधि की यह मंशा नहीं है कि इस स्तर पर अभियोजन साक्ष्यों एवं परिस्थितियों का इस तरह का मूल्यांकन करे, कि जैसे उसे दोष मुक्ति पर अभिमत देना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया यदि अभियुक्त के विरुद्ध घोर सन्देह का भी मामला बनता हो तो भी आरोप विरचित किया जाना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष को यह मौका दिया जाना चाहिए, कि वह अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना केस सिद्ध करे।

उक्त सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 33अ अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। धारा 379 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है तथा धारा 147,148,149,323,354,504 व 506 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(1)आर एवं 3(1)एस एस.सी.एस.टी. ऐक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली दिनांक 06.08.2018 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश(एस.सी.एस.टी.ऐक्ट),
एटा
28.07.2018